न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री सत्तार खान, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील संख्या :-एलआर/ 140/2016 भीलवाड़ा (2016/00095)

1. गोपी पुत्र नाथु जाति भील
2. पोखर पुत्र भोला जाति गुर्जर
3. भोजा पुत्र महाराम जाति गुर्जर
4. काना पुत्र गोदा जाति गुर्जर
5. गोपी पुत्र आसू जाति गुर्जर
6. सूरजमल पुत्र जयरामा जाति गुर्जर
7. मांगू उर्फ मांगीलाल पुत्र गिरधारी जाति गुर्जर
   सभी निवासी ग्राम रूपपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।

अपीलांटस

बनाम

1. श्रीमति सुण्डी देवी पत्नी सीताराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम रूपपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार करेड़ा जिला भीलवाड़ा।

रेस्पोर्डेटस

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी माण्डल, भीलवाडा, दिनांक 15.07.2016 अपील संख्या 02/ 2016.

उपस्थितः-

1. श्री एम.एल. गुर्जर अपीलान्ट अभिभाषक

2. श्री वैभव पारीक रेस्पोडेन्ट सं. 1 अभिभाषक

निर्णय

दिनांकः-................

अपीलांटस ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, माण्डल द्धारा पारित निर्णय दिनांक 15.07.2016 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं।

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत राजस्थान सरकार के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी माण्डल के यहां प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम रूपपुरा में स्थित आराजी खसरा संख्या 1372/123 रकबा 4 बीधा को उसने खातेदार आवंटी भगवादास के

वारिसान जानकीदास वगैरा से दिनांक 02.12.2015 के जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र खरीद किया जिस पर रेस्पोडेन्ट काबिज चला जा रहा है किन्तु सहवन से उसकी भूमि जहां पर वह काबिज है उस जगह तरमीम नही करके खसरा संख्या 123 में गलत जगह तरमीम कर दी इस कारण गलत हुई तरमीम को दुरूस्त कर आवंटन के समय जो नक्शा दिया गया उस नक्शे के अनुसार वर्तमान राजस्व नक्शा शीट में परमीम की जावे। जिस पर विद्वान उपखण्ड अधिकारी माण्डल ने अपीलान्ट को बिना नोटिस दिये एवं बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही एक तरफा में अपने निर्णय दिनांक 15.07.2016 के द्वारा रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र का स्वीकार करते हुये राजस्व रेकार्ड में नक्शा में दुरूस्ती करने का आदेश प्रदान कर दिया।

2- अपील Subject to limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में दोनों पक्षों की अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

3- अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा मियाद अधिनियम की धारा-5 पर अपीलान्ट की ओर से पक्ष रखते हुए कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी माण्डल का निर्णय दिनांक 15.07.2016 एक तरफा मे पारित किया गया और निर्णय पारित करने से पूर्व प्रार्थी को कोई नोटिस नही दिया गया। प्रार्थी को उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 25.10.2016 को उस समय हुयी जब रेस्पोडेन्ट ने विवादित भूमि पर आकर अपीलान्ट को धमंकी दी की प्रकरण का निस्तारण उनके हक मे हो गया है और अब उनको वह भूमि से बेदखल कर कब्जा प्राप्त करेगी इस पर अपीलान्ट दिनांक 26.10.2016 को माण्डी गया एवं जानकारी करने पर निर्णय की पुष्टि होने पर अपीलान्ट ने दिनांक 26.10.2016 को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 27.10.2016 को निर्णय की नकल प्राप्त कर अपने धर गया एवं फीस आदि की व्यवस्था कर आज अधिवक्ता से सम्पर्क कर यह अपील तैयार करवायी जाकर बिना किसी देरी के माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत की जा रही है। अपील प्रस्तुत करने मे हुयी देरी उपरोक्त सद्भाविक कारण से होने के कारण क्षमा किये जाने योग्य है। इसलिये न्यायहित मे अपील प्रस्तुत करने मे हुई देरी को क्षमा किया जाना अति आवश्यक है अन्यथा प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी।

4- हमने विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट के मियाद के बिन्दू पर दिये गये तर्कों तथा रेस्पोडेण्ट अभिभाषक के जवाब व उनके द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल द्वारा समय समय पर प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना एंव विधि की मांग होने से अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा-5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्यनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है ।

5- अपीलान्ट अभिभाषक द्वारा धारा 96 जा0दी0 प्रस्तुत किया गया। जिसमें उपखण्ड अधिकारी माण्डल का निर्णय दिनांक 15.07.2016 पारित करने से पूर्व रेस्पोंडेन्ट को प्रकरण के पक्षकार नही बनाया एवं एक तरफा में निर्णय प्रदान किया जो कि प्रार्थी अधिकारो पर विपरीत प्रभाव डालने वाला आदेश है जिसके विरूद्ध प्रार्थी को माननीय न्यायालय मे अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किया जाना न्यायोचित है अन्यथा प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी।

6- उभय पक्षों की धारा 96 जा0दी0 पर बहस सुनी तथा अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त व उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन व मनन पश्चात प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के मध्यनजर अपीलांट का धारा 96 जा0दी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

7- अपीलान्ट् के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय से इस बात पर गोर नही किया कि विवादित भूमि राजस्थान सरकार द्वारा ग्राम पंचायत को आबादी विस्तार हेतु खसरा संख्या 123 का दिनांक 16.07.1998 को आवंटन किया गया जिस पर ग्राम पंचायत की उक्त भूमि आबादी मे दर्ज है तथा मोके पर गांव के व्यक्तियों के मकान बने हुये है तथा भूमि खसरा संख्या 123 में से 4 बीघा भूमि भगवान दास पुत्र गोपाल दास को आवंटन की गयी जिसके बटटा नं0 1372/23 कायम किये गये ओर उसी को रेस्पोडेन्ट ने खरीद की है ओर उसी पर वह काबिज चली आ रही है तथा उस समय खसरा संख्या 1372/123 की तरमीम की गयी ओर इस रकबा में से बाकि बची हुई 7 बीघा 13 बिस्वा रेस्पोडेन्ट का कब्जा चला आ रहा है किन्तु इन तथ्यों को नजरान्दाज कर अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश प्रदान करने में भूल की है।

8- भगवान दास के वारिसान से खसरा संख्या 1372/123 रकबा 4 बीघा को रेस्पोडेन्ट ने खरीद की ओर समस्त राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी नक्श ट्रेस देखकर मोके पर भौतिक सत्यापन के पश्चात उसने भूमि का कब्जा प्राप्त किया एवं खसरा संख्या 123 के दक्षिणी पूर्वी कोने पर उसका कब्जा रहा एवं उसी स्थान पर पटवारी ने जांच कर खसरा संख्या 1372/123 का अंकन किया गया किन्तु रेस्पोडेन्ट के मन में बदनियती आ जाने उसने तथ्यों को छिपाकर नक्शे में तरमीम के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जबकि वह भगवान दास व उसके वारिसान के पद चिन्हों पर आयी है ओर भगवान दास व उसके वारिसान ने नक्शे नम्बर 1372/123 तरमीम अनुसार मोके पर काबिज रहे एवं वही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को भूमि का कब्जा दिया गया किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 सड़क की दिशा में तरमीम करना चाहती है इसलिये उसने गलत तथ्यों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सड़क के किनारे भूमि का कब्जा ले लेगी जबकि रेस्पोडेन्ट उक्त सड़के के किनारे स्थित खसरा संख्या 123 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा पर काबिज है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने ना तो तहसीलदार को मोका रिपोर्ट प्राप्त की ओर ना ही कानूनी प्रक्रिया की पालना की है।

9- अपीलान्ट् के विद्वान अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम का स्कोप बहुत ही सीमित है जिसके तहत केवल लिपिकीय त्रुटि को ही दुरूस्त किया जा सकता है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रेकार्ड में नक्शा मे तरमीम करने का आदेश प्रदान कर अपने क्षेत्राधिकार के परे आदेश पारित किया हैं जो कि निरस्तनीय है। अपील स्वीकार फरमाई जाकर विद्वान उपखण्ड अधिकारी माण्डल का निर्णय दिनांक 15.07.2016 को निरस्त फरमाया जावें एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 को निरस्त करने का निवेदन किया।

10- अभिभाषक रेस्पोडेण्ट ने अपीलांट अभिभाषक की बहस के जवाब में कथन किया कि ग्राम रूपपुरा तहसील माण्डल में स्थित आराजी संख्या 123 मे से रकबा 4 बीघा भूमि का आंवटन हुई। तथा कब्जा सूपुर्द किया गया। जिसकी ताईद प्रस्तुत सुपुर्दगीनामा की फोटो प्रति से होती है। आराजी संख्या 123/1 रकबा 4 बीघा का नक्शा प्रस्तुत किया। किन्तु प्रार्थिया ने आराजी संख्या 1372/123 रकबा 4 बीघा भूमि क्रय की। आंवटन के समय का नक्शा प्रस्तुत किया। जिसमे आराजी संख्या 123/1 तरमीम किया हुआ है जबकि प्रार्थिया को आराजी संख्या 1372/123 रकबा 4 बीघा भूमि खरीद कर कब्जा प्राप्त किया। प्रार्थिया द्वारा आराजी संख्या 123/1 व 1372/123 का नक्शा प्रस्तुत किया। दोनों को मिलान करने पर भिन्नता है क्योंकि वर्तमान नक्शा मे 1372/123 तरमीम है जबकि पहले वाल नक्शे में 123/1 अंकित है उसी अनुसार तरमीम किया हुआ है। जिसकी ताईद प्रस्तुत नक्शा ट्रेस से होती है। आंवटन के समय कब्जा अनुसार प्रार्थिया को कब्जे अनुसार नक्शे से तरमीम की गयी। लेकिन वर्तमान राजस्व नक्शे मे तरमीम का नम्बर व जगह बदल दी गयी। तथा अन्य जगह तरमीम कर दी। जिसे पुनः साबिक नक्शे के अनुसार तरमीम चाहता हैं। उसी अनुसार प्रार्थिया का कब्जा है

11- अभिभाषक रेस्पोडेण्ट द्वारा बहस के समर्थन में मेरा ध्यान निम्न न्यायिक दृष्टांतों की ओर आकर्षित किया:-

धारा 136 के लिये -

a) 2018 (2) RRT 1158.
b) 2017 (4) DNJ 1740 (HC).
c) 2002 RRD 336.
d) 1995 DNJ (Raj.) 540(HC).

धारा 96 के लिये -

a) 1993 RRD 44.
b) 1993 RRD 233.
c) 1978 RRD 633.
d) 2013 RBJ 1.
e) 1985 RRD 584.

धारा 5 के लिये -

a) 2017 (1) RRT 117 (HC).
b) 2012 (1) WLC (SC) CIVIL 759.
c) 2014 (3) DNJ (Raj.) 1129 (HC).

d) 2016 (4) DNJ (Raj.) 1729 (HC).

Court cannot go beyond pleading not pleaded by me party.

a) 1987 RRD 118 (HC).
b) 1976 AIR PATNA 332 (SC).
c) AIR 1977 SC 890.
d) 1988 RRD 143 (HC).

12- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया । प्रस्तुत प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया गया । अधी0न्यायालयृ के निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोडेंट द्वारा विवादित आराजियात खसरा 1372/123 की नक्शें में तरमीम करने हेतु अधि0न्याया उपखण्ड अधिकारी मांडल भीलवाडा के समक्ष प्रस्तुत किया अधि0न्यायालय द्वारा विवादित आराजियात में भूमि सुपुदर्गी नामा अनुसार तरमीम किये जाने का आदेश पारित कर दिया जबकि धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत स्कोप बहुत ही सीमित है जिसके तहत केवल लिपिकीय त्रृटि को ही जोकि देखने मात्र से स्पष्ट होती हो दोनो पक्ष की सहमति से दुरूस्त किया जा सकता है किन्तु अधि0न्याया द्वारा राजस्व रिकार्ड में नक्शा तरमीम करने का आदेश पारित कर दिया जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है ।

–ःक्रियात्मक आदेशः–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधि0न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांडल भीलवाडा द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.07.2016 निरस्त किया जाकर प्रकरण उन्हें इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि इस प्रकरण में सभी सम्बन्धित व प्रभावित पक्षकारों को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

(सत्तार खान)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक ....को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सत्तार खान)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sattar Khan
Date: 2020.01.17 16:20:38 IST
Reason: SelfAttested
Location: